



EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/

Office of the Chief Personnel Officer

द्वितीय तल, - 751 017

Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 137/2018
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/P&A

RBE No-103/2018
Date: 27.08.2018

सेवा मे,

सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरघारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर थ्र. कां., महा सचिव/इकोर थ्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Child Care Leave (CCL)-Clarification Reg.

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(P&A)I-2008/CPC/LE-8 Dtd.
18.07.2018 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8 Dtd.
18.07.2018 on the above quoted subject is forwarded herewith for
information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(Gundicha Sethy)

Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)

For Pr. Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/महा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-1), महा.कार्मिक अधि.(कल्याण),
महा.कार्मिक अधि.(बिल), महा.कार्मिक अधि.(भर्ती)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 103/2018

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/सीपीसी/एलई-8

नई दिल्ली, दिनांक 18.07.2018

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।


विषय: चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के संबंध में स्पष्टीकरण।

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि:

- (i) कर्मचारी, जो सीसीएल पर हैं, को उचित सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।
- (ii) कर्मचारी, जो सीसीएल पर हैं, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, बशर्ते उचित सक्षम प्राधिकारी से अग्रिम में मंजूरी ले ली गई हो।

2. इस छुट्टी से संबंधित अन्य नियमों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. कृपया पावती दें।



(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (पी एवं ए),
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एंड ए)I-2008/सीपीसी/एलई-8

नई दिल्ली दिनांक 18.07.2018

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली को
अग्रहित (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

जी. प्रिया सुयर्सनी

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं.ई(पी एवं ए)I-2008/सीपीसी/एलई-8

नई दिल्ली, दिनांक 18.07.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली। (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली। (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

RB-3408
F.No./Sl.No.....
दिनांक/Date... 7/8/18
का.का./Initial...

18/9
17/8/18

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

14/8
14/8
D/20/18
CPO(A)
RPO

137

RBE No. J03/2018

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi dated 18.07.2018

The General Managers/Principal Financial Advisers,
All Indian Railways and Production Units.
E.Co.R, Bhubaneswar.

Sub: Child Care Leave (CCL) - Clarification reg.

प.क.प. (P.C.P.)
प.क.प. (P.C.P.)
प.क.प. (P.C.P.)
प.क.प. (P.C.P.)
प.क.प. (P.C.P.)
प.क.प. (P.C.P.)

In pursuance to the decision taken by the Government, the Ministry of Railways have decided that:

- (i) An employee on CCL may be permitted to leave Head Quarters with the prior approval of appropriate Competent Authority.
 - (ii) An employee on CCL may proceed on foreign travel provided clearances from appropriate Competent Authorities are taken in advance.
2. There is no change as regards other terms and conditions of this leave.
 3. Please acknowledge receipt.

(N P Singh)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi dated 18.07.2018

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi dated 18.07.2018

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.(with 5 spares).